संसद में सुरक्षा उल्लंघन

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

हाल ही में **वर्ष 2001 के संसद हमले** के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन का मामला सामने आया।

- दिल्ली पुलिस ने आरोपी/अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम**,** एक आतंकवाद-रोधी कानून की धाराओं के साथ-साथ आपराधिक साजिश, अतिचार, दंगा भड़काने तथा एक लोक सेवक के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने से संबंधित भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएँ भी लगाई हैं।
- हमले के दौरान आरोपियों के पास उन्हें जारी किये गए **आगंतुक/परदर्शक पास** थे।

संसद परदर्शकों के लिये क्या नियम हैं?

- **लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों** का **नियम 386** सदन की बैठकों के दौरान परदर्शकों (संसदीय शब्दों में "अजनबी" के रूप में संदर्भित) के "प्रवेश, वापसी तथा हटाया जाना" को नियंत्रित करता है।
- **नियम 387** अध्यक्ष द्वारा जब कभी ठीक समझा जाए, **"अजनबियों" को** सदन के किसी भाग से **बाहर चले जाने का आदेश** दिया जा सकता है।
- अध्यक्ष द्वारा अधिकृत **नियम 387A, प्राधिकृत सचिवालय के पदाधिकारी** को सदस्यों के लिये आरक्षित **सदन परिसर के भीतर** किसी भी **अजनबी** को हटाने अथवा हिरासत में लेने का अधिकार देता है।
    - इसमें ऐसे अजनबी शामिल हैं जो दुर्व्यवहार करते हैं, अध्यक्ष के विनियमों का उल्लंघन करते हैं (नियम 386 के तहत), अथवा सदन की बैठकों के दौरान नियम 387 के तहत निर्देश दिये जाने पर संबद्ध स्थल से हटने में विफल रहते हैं।
- सदस्य केवल व्यक्तिगत रूप से परिचित व्यक्तियों के लिये ही **विज़िटर कार्ड के लिये** आवेदन कर सकते हैं।
    - प्रमाणीकरण आवश्यक है, जिसमें कहा गया हो कि"उपरोक्त नामित आगंतुक मेरा रिश्तेदार/व्यक्तिगत मित्र है/मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और मैं उसके लिये पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ।"
    - आगंतुकों की दीर्घाओं में प्रवेश के लिये कार्ड आमतौर पर एक बैठक के लिये, आम तौर पर एक घंटे के लिये जारी किये जाते हैं। ये कार्ड हस्तांतरणीय नहीं हैं और धारक द्वारा इसमें दी गई शर्तों का पालन करने पर ही जारी किये जाते हैं।
- सुरक्षा कारणों से आगंतुकों को प्रमाणन के साथ फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।
- राज्यसभा में आगंतुकों के प्रवेश के लिये भी ऐसे ही नियम लागू हैं।
- सदस्यों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, खासकर जब किसी ऐसे व्यक्ति के प्रवेश की सुविधा हो जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हो।
    - कार्डधारकों के कारण गैलरी में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना या अवांछनीय गतिविधि के लिये सदस्य ज़िम्मेदार होते हैं।

2001 में भारतीय संसद पर हमला:

- 2001 में भारतीय संसद पर हमला एक आतंकवादी हमला था, जो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था, जब सशस्त्र आतंकवादियों के एक समूह ने नई दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला किया था।
    - हमलावर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित थे।
- हमले के परिणामस्वरूप **सुरक्षाकर्मियों और सरकारी अधिकारियों की मृत्यु** हो गई।
- इस हमले ने बाह्य खतरों के प्रति **भारत के संसदीय लोकतंत्र की संवेदनशीलता को उजागर** कर दिया और इसकी सुरक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव को प्रेरित किया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

भारत की संसद किसके/किनके द्वारा मंत्रिपरिषद् के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? (2017)

1. स्थगन प्रस्ताव
2. प्रश्न काल
3. अनुपूरक प्रश्न

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d)1, 2 और 3

उत्तर: (d)

- अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्त्व के किसी निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है। यह सदन के सामान्य कामकाज को बाधित करता है, जिससे यह सरकार के खिलाफ निंदा का एक साधन बन जाता है। **अतः 1 सही है।**
- प्रश्नकाल प्रशासन या कार्यपालिका पर "संसदीय निरीक्षण" का एक उपकरण है। प्रश्नकाल के दौरान सरकार संसद के प्रति अपनी सभी प्रकार की भूल-चूक के लिये जवाबदेह होती है।
- **प्रश्न चार प्रकार के होते हैं:** तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और निजी सदस्य से प्रश्न। **अतः 2 सही है।**
- अनुपूरक या तारांकित प्रश्न के तहत मंत्री से मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है **अतः 3 सही है।**
- **अत: विकल्प (d) सही उत्तर है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/security-breach-in-parliament